

वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-5, भाग-2
प्रपत्र संख्या-43 ए (1)
(प्रस्तर 417 एवं 418 देखिए)
धनराशि जमा करने का चालान फार्म

- उपकोषागार/बैंक का नाम व शाखा
जिस व्यक्ति (पदनाम यदि आवश्यक हो) या संस्था के नाम से धनराशि जमा की जा रही है उसका नाम
- पता
- पंजीकरण संख्या/पक्ष का नाम व वाद संख्या (यदि आवश्यक हो)
- जमा की जा रही धनराशि का पूर्ण विवरण (धनराशि किस हेतु जमा की जा रही है तथा किस विभाग के पक्ष में जमा की जा रही है।)
- चालान की सकल राशि
- चालान की निबल राशि
- लेखा शीर्षक का पूर्ण विवरण/लेखा शीर्षक की मुहर
- लेखा शीर्षक का 13 डिजिट कोड

SBI MAIN BRANCH BLY
 श्रीमती शर्मिता झावला लो विपिन
 झावला
 ग्रा.प. अलीगंज, जी.प. खास, ब्लॉक - मझगाँवा
 तहसील- झावला, जिला बरेली
 विद्युत सुरक्षा नियमानुसार
 पिनकोड के नये संयोजन हेतु
 700
 700

0043-बिजली पर कर और शुल्क
 102-भारतीय बिजली नियमों के अन्तर्गत फीस

मुख्य लेखा शीर्षक	उप मुख्य-शीर्षक	लघु शीर्षक	उप शीर्षक	ब्यौरेवार-शीर्षक	धनराशि (अंकों में)
0043	00	102	00	00	700
					700

धनराशि (शब्दों में) सात सौ 700 मात्र /-
 कायलिय
 अहायक निदेशक विद्युत सुरक्षा
 उत्तर प्रदेश सरकार
 ए-124 राजेन्द्र नगर
 कोसी जिला
 योग 700

चालान में लेखाशीर्षक की पुष्टि करने वाले
 विभागीय अधिकारी के हस्ताक्षर मुहर सहित

जमाकर्ता का नाम व हस्ताक्षर
श्रीमती शर्मिता झावला

चालान संख्या
CP 00072
 दिनांक

केवल उपकोषागार बैंक के प्रयोगार्थ
राष्ट्रीय स्टेट बैंक
25 JUL 1981
 अंकों में रु०
 शब्दों में रु०
 नरद प्राप्त/पुगतन/रु० अर्जन/GR
 Mohd. Raahid-2542455

अंकों में रु० 700
 शब्दों में रु०

प्राप्त किया
 प्राप्तकर्ता के हस्ताक्षर कोषागार/
 बैंक की मुहर सहित